न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जिला जोधपुर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :—श्री नेमा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 172/2023

जीसीएमएस नं. :— 2023/269

प्रार्थी :—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
1. सुजाराम पुत्र श्रीराम उर्फ शिवाराम जाति जाट निवासी साथीन तहसील पीपाड़ शहर		भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर, तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थित अधिवक्ता : दर्ज दिनांक :—08/09/2023

श्री अशोक कड़वासरा प्रार्थी की ओर से

अप्रार्थी तहसीलदारपीपाड़ शहर

''आदेश'' दिनांक : 08/12/2025

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी की पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम साथीन चक ।। की राजस्व सीमा में खसरा संख्या 1231 रकबा 2.0791 हैक्टेयर किस्म बारानी ए खाता संख्या नया 753 व खाता संख्या पुराना 575 के अनुसार स्थित है जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के अनुसार पुश्तैनी, खातेदारीसुदा कृषि भूमि आई हुई है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी के पिता शिवाराम उर्फ श्रीराम के देहान्त पश्चात उक्त भूमि बहैसियत वारिसान प्रार्थी के साथ—साथ विध्यादेवी पत्नी श्री शिवाराम उर्फ श्रीराम, छोटीदेवी पुत्री श्री शिवाराम उर्फ श्रीराम, पपुदेवी पुत्री श्री शिवाराम उर्फ श्रीराम व संतोष पुत्र श्री शिवाराम उर्फ श्रीराम के नाम दर्ज होनी थी जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम शिवाराम घरेलू रूप से पुकारा जाने वाला शिवाराम नामांतरण के रूप में दर्ज किया जाना था, जबकी प्रार्थी के पिताजी का वास्तविक व दस्तावेजी नाम श्रीराम हैं। उपरोक्त वर्णित राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिताजी का नाम भूलवंश अथवा पेन मिस्टेक के कारण साथ—साथ घरेलू नाम होने के कारण तत्कालीन आवेदनकर्ता ने बोल चाल की भाषा में बोले जाने वाले नाम प्रार्थी के नाम शिवाराम बताने से प्राथी के पिताजी का वास्तविक नाम एवं दस्तावेजी नाम श्रीराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं हो सका, जबकी प्रार्थी के पिताजी का नाम राशनकार्ड, पहचान—पत्र व आधार कार्ड में व रहवासीय मकान के पट्टे में

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

तथा पेन कार्ड एवं जन आधार में भी श्रीराम के नाम से दर्ज हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पिताजी की जगह फोतेदगी नामांतरण भरवाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा पिताजी के हर जगह दो नाम के एक व्यक्ति साबित करने हेतु कई परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं, ऐसी स्थिति में प्रार्थी की परेशानियों को देखते हुए राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिताजी का नाम शिवाराम के स्थान पर श्रीराम दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी के पिताजी शिवाराम उर्फ श्रीराम के नाम का प्रार्थी के पिताजी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि पिताजी शिवाराम की जगह मुझ प्रार्थी के पिताजी श्रीराम के ही घरेलू नाम है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पिताजी के नाम अलग अलग होने के कारण प्रार्थ्थी को फोतेदगी नामांतरण भरने में परेशानी से निजात पाने के लिए उक्त नाम को शिवाराम के स्थान श्रीराम कर रेकर्ड शुद्धी करवानी आवश्यक है ताकि प्रार्थी को बार–बार अपने नाम को लेकर होने वाली परेशानियों से निजात मिल सके। अतःतहसीलादर से जवाब तलब कर राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिताजी का नाम शिवाराम के स्थान पर श्रीराम नाम शुद्धी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवदेन किया गया।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार राजस्व ग्राम साथीन चक II के खसरा संख्या 1231 में प्रार्थी के पिता का नाम शिवाराम पुत्र लाबुराम के स्थान पर श्रीराम पुत्र लाबुराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम साथीन चक II के खसरा संख्या 1231 में प्रार्थी के पिता का नाम शिवाराम पुत्र लाबुराम के स्थान पर श्रीराम पुत्र लाबुराम दुरुस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। इस आशय की तहरीर जारी हों।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 08/12/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर